प्रारूप–1.6(A)

Annexure-I

FORM-I

(for linear Projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector, Pithoragarh

****

No ...67..........

Dated 01-09-2020

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt.) Dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act. 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter Dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects. it is certified that **2.888 hectare** of forest land proposed to be diverted in favour of **P.W.D. Didihat** for **Road** in **Pithoragarh** district falls within jurisdiction of **Khatera** Villages(s) in **Munsyari** tehsil.

It is further certified that :

(a) The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire **2.888 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ....

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognized right of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities.

Encls.: As Above.

जिलाधिकारी
District Collector
पिथौरागढ़

प्रारूप—1.6(B)

Annexure-II

FORM-II

(for linear Projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector, Pithoragarh

****

No ....67.........

Dated 01-09-2020

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt.) Dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **2.888 hectare** of forest land proposed to be diverted in favour of **P.W.D. Didihat** for **Road** in **Pithoragarh** district falls within jurisdiction of **Khatera** Villages(s) in **Munsyari** tehsil.

It is further certified that :

(a) The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire **2.888 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ....

(b) The proposal for such diversion (with full details fo the project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest dwellers, who eligible under the FRA.

(c) The each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/ processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the propose diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram Sabha of **Khatera** Village(s) is enclosed as annexure ....

(d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.

(f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encls.: As Above.

जिलाधिकारी,
District Collector
पिथौरागढ़

प्रारूप–1.6(C)

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT PITHORAGARH (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Pithoragarh district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. Dr. Vijay Kumar Jogdande I.A.S deputy commissioner Pithoragarh on dated 01.09.2020 at time 5:00 P.M. at Pithoragarh in which application claiming rights in **Khatera** area measuring **2.888** hect for the construction of **Khetara to Sini Motor Road** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Munsyari** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Pithoragarh
Dated: 01.09.2020

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee

प्रारुप–30.2

परियोजना का नामः– खतेड़ा से सीणी मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 3.500 किमी0)

कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
जिला स्तरीय समिति, पिथौरागढ़

उपखण्ड मुनस्यारी परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत खतेडा से सीणी मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 3.500 किमी0) में (2.888 हे0 राज्य भूमि) अर्थात कुल 2.888 हे0 वन भूमि का प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 डीडीहाट के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति, (जिला पिथौरागढ) की दिनांक ....01/9/2020.......... को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री विजय कुमार जोगदण्डे, जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री डा0 विजय कुमार जोगदण्डे, जिलाधिकारी, पिथौरागढ, अध्यक्ष

2– श्री विजय कुमार आर्य, प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ, सदस्य

3– श्री डा0 विद्याधर कापड़ी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, पिथौरागढ, सदस्य/सचिव

4– (1) श्रीमती गंगोत्री दताल, जिला पंचायत सदस्य, सदस्य
(2) श्री सुरेश जेठा, जिला पंचायत सदस्य, सदस्य
(3) श्रीमती पुष्पा देवी, जिला पंचायत सदस्य, सदस्य

सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत खतेडा से सीणी मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 3.500 किमी0) परियोजना हेतु 2.888 हे0 वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड, मुनस्यारी परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत खतेडा से सीणी मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 3.500 किमी0) परियोजना के निर्माण हेतु 2.888 हे0 वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 डीडीहाट को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

पुष्पा देवी
जिला पंचायत सदस्य
09 नाचनी, पिथौरागढ़

सदस्य
जिला पंचायत खेला 02
धारचूला (पिथौरागढ़)

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति
जनपद पिथौरागढ़

प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग

जिला समाज कल्याण अधिकारी
पिथौरागढ़

प्रारुप—30.2

परियोजना का नामः— खतेड़ा से सीणी मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 3.500 किमी0)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, मुनस्यारी
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण—पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, मुनस्यारी

उपखण्ड मुनस्यारी परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत खतेडा से सीणी मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 3.500 किमी0) में (2.888 हे0 राज्य भूमि) अर्थात कुल 2.888 हे0 वन भूमि का प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 डीडीहाट के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील मुनस्यारी) की दिनांक 19/3/2020........ को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक **श्री** आनन्द सिंह जोशिया.........., उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1— श्री आनन्द सिंह जोशिया.........................., उपजिलाधिकारी, मुनस्यारी, अध्यक्ष

2— श्री नवीन चन्द्र पन्त, ...,उप प्रभागीय वनाधिकारी, डीडीहाट, सदस्य

3— श्री दलीप सिंह रावत..................., सहायक समाज कल्याण अधिकारी, मुनस्यारी, सदस्य / सचिव

4— श्री मती दीपा धुमाल........................, सदस्य क्षेत्र पंचायत, क्षेत्र ......नापड़..................सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद पिथौरागढ के अन्तर्गत खतेडा से सीणी मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 3.500 किमी0) परियोजना हेतु 2.888 हे0 वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, डीडीहाट द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा / आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड, मुनस्यारी परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत खतेडा से सीणी मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 3.500 किमी0) परियोजना के निर्माण हेतु 2.888 हे0 वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 डीडीहाट को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील— मुनस्यारी
जनपद पिथौरागढ़

स0 समाज कल्याण अधिकारी
वि0ख0 मुनस्यारी
जनपद पिथौरागढ

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पिथौरागढ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील— मुनस्यारी
जनपद पिथौरागढ

क्षेत्र पंचायत सदस्य
31- नापड़
वि0 ख0 :- मुनस्यारी

परियोजना का नामः— खतेड़ा से सीणी (खेतकाना) तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 3.00 किमी0)

<u>वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र</u>

ग्राम पंचायत का नाम — खेतड़ा

तहसील—मुनस्यारी, जिला पिथौरागढ़

<u>अनापत्ति प्रमाण पत्र</u>

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत खतेड़ा से सीणी (खेतकाना) तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (सिविल भूमि 2.00 है0) अर्थात कुल 2.00 है0 वन भूमि का प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 डीडीहाट के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में **<u>ग्राम पंचायत—खतेड़ा</u>** द्वारा दिनांक 02/03/2019 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि <u>ग्राम—खतेड़ा</u> के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 डीडीहाट को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/—
ग्राम सचिव
मुहर सहित

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र0 - खतेड़ा
वि0ख0 - मुनस्यारी
जिला -पिथौरागढ
दिनांक- 02-03-2019

ह0/—
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

प्रारुप—30.4

परियोजना का नामः— खतेड़ा से सीणी (खेतकाना) तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।
(लम्बाई 3.00 किमी0)

दिनांक 2/3/2010 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत — खतेड़ा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	जगत सिंह S/O लछमण सिंह	[illegible]
2	आन सिंह S/O दरपान सिंह	आन सिंह
3	नरेन्द्र सिंह S/O दलीप सिंह	नरेन्द्र सिंह
4	कुन्दन सिंह S/O लछमण सिंह	Kaushik
5	हरीश सिंह S/O राय सिंह	[illegible]
6	हयात सिंह S/O गुलाब सिंह	हयात सिंह
7	उत्तम सिंह S/O शेर सिंह	उत्तम सिंह
8	धन सिंह S/O दीवान सिंह	धन सिंह
9	दीवान सिंह S/O महेन्द्र सिंह	दीवान सिंह
10	कुँवर सिंह S/O महेन्द्र सिंह	कुँवर सिंह
11	उत्तम सिंह S/O त्रिलोक सिंह	उत्तम सिंह
12	राजेन्द्र सिंह S/O त्रिलोक सिंह	राजेन्द्र सिंह
13	जौहार सिंह S/O कुँवर सिंह	जौहार सिंह
14	लछमण सिंह S/O महिपाल सिंह	लछमण सिंह
15	हयात राम S/O देव राम	हयात राम
16	दीवान सिंह S/O कुँवर सिंह	[illegible]
17	राम सिंह S/O दीवान सिंह	राम सिंह
18	देवाल है	[illegible]
19	हयात सिंह	[illegible]
20	किशन सिंह	[illegible]
21		हरुली देवी
22	हरुली देवी	दीवान सिंह
23		
24		
25		

ह0/—
ग्राम प्रधान [illegible]